

खेतिहार मजदूर :-(Agricultural ~~labour~~ labour)

आज के सै कुछ वर्ष पूर्व तक भारत की आर्थिक व्यवस्था में मजदूर शब्द का अर्थ सदा संगठित उद्योगों में कार्य करने वाले मजदूरों से ही समझा जाता था। भारत सरकार भी औद्योगिक मजदूरों की समस्याओं पर ही विशेष ध्यान देती थी तथा खेतिहार मजदूरों की समस्याओं की प्रायः उपेक्षा की जाती थी। फलस्वरूप देश में खेतिहार मजदूरों की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई। यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी कमी थी। इसके फलस्वरूप देश में खेतिहार मजदूरों की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई। यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी कमी थी। इसके फलस्वरूप देश में खेतिहार मजदूरों की स्थिति बड़ी ही दयनीय हो गई। कृषि-सुधार-समिति (Agricultural Reforms Committee) के अनुसार, "कृषि-विकास की किसी भी योजना में खेतिहार मजदूरों की समस्याओं पर उचित ध्यान नहीं देना देश की कृषि-व्यवस्था की एक दर्दनाक समस्या की उपेक्षा करना होगा। (To leave out the problem of agricultural labour in any scheme of agricultural reforms, as has been done so far, is to leave a attended ~~as~~ a weeping wound in the agrarian system of our country.) किन्तु स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् राष्ट्रीय सरकार खेतिहार मजदूरों की स्थिति को सुधारने में विशेष रूप से प्रयत्नशील रही हैं।

खेतिहार-मजदूरों की स्थिति की जाँच के लिए भारत-सरकार ने 1950-51 में एक समिति की नियुक्ति की थी जिसने 800 गाँवों के 11 हजार खेतिहार मजदूर परिवारों की स्थिति की जाँच की। इस जाँच का विवरण 1954-55 ई० में प्रकाशित हुआ। पुनः प्रथम पंचवर्षीय योजना में खेतिहार मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए किए गए प्रयत्नों के अध्ययन के लिए 1955-56 में खेतिहार मजदूरों की स्थिति की दूसरी जाँच की गई। जाँच इस बार 3600 गाँवों के कुल 28650 खेतिहार मजदूर परिवारों की जाँच की गयी जिसका विवरण 1960 में प्रकाशित हुआ।



(2)

खेतिहार मजदूरों के भेद - खेतिहार मजदूरों की मुख्यतः निम्नांकित तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है -

(1) खेतों में काम करने वाले मजदूर - जैसे हलवाई, फसल काटने वाले आदि। इन्हें पूर्णतः खेतिहार मजदूर कहा जा सकता है।

(2) कृषि से सम्बन्धित अन्य काम करने वाले, जैसे - गाड़ीवान, कुँआ खीदने वाले आदि। इन्हें अर्ध-कुशल (Semi-Skilled) मजदूर भी कहा जा सकता है।

(3) तीसरे वे मजदूर जो कृषि के अतिरिक्त अन्य सहायक उद्योगों में लगे हुए हैं, जैसे - बढ़ई, लौहार आदि। इन्हें ग्रामीण कलाकार भी कहा जा सकता है।

काम करने की दशाओं के अनुसार खेतिहार मजदूरों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है - (क) आकस्मिक मजदूर (Casual Labourers) - आकस्मिक मजदूर वे मजदूर हैं जो यदा कदा विभिन्न मालिकों के साथ कार्य करते हैं। (ख) आसंजित मजदूर (Attached Labourers) - इसके विपरीत आसंजित मजदूर वे मजदूर हैं जो किसी खास किसान के साथ स्थायी रूप से कोई कार्य करते हैं। कृषि-श्रम-जॉय समिति के अनुसार, 1953-54 ई० में आकस्मिक एवं आसंजित मजदूरों का अनुपात 90:10 था जबकि 1956-57 ई० में देश के कुल खेतिहार मजदूरों के 77% आकस्मिक तथा 23% आसंजित मजदूर थे। स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में आसंजित मजदूरों की संख्या में प्रगति हुई है। खेतिहार मजदूरों में से कुछ के पास बिल्कुल भूमि नहीं होती। इन्हें भूमिहीन मजदूर (landless labourers) भी कहा गया है। कृषि-श्रम जॉय समिति के अनुसार भारत के कुल ग्रामीण परिवार का 30.4 प्रतिशत भाग खेतिहार मजदूरों का था जिनमें 15.2% के पास भूमि थी तथा 15.2% बिल्कुल भूमिहीन मजदूर थे।

खेतिहार मजदूरों की संख्या : भारत में खेतिहार मजदूरों की संख्या का अनुमान समय-समय पर लगाया गया है। नेशनल प्लानिंग कमिटी के विवरण में प्रो० रंगा ने भारत में खेतिहार मजदूरों की संख्या 10 करोड़ बतायी थी। यह तत्कालीन जनसंख्या के अनुसार देश की सम्पूर्ण जनसंख्या का 25% भाग थी। 1951 ई० की जनगणना के अनुसार भारत की कुल 2490 लाख कृषिकर आबादी में से खेतिहार मजदूरों की संख्या 140 लाख, यानी प्रायः 20% प्रतिशत भाग थी। दूसरे शब्दों में, कहा जा सकता है कि देश की कुल आबादी के प्रायः 15% भाग खेतिहार भाग खेतिहार मजदूर थे। किन्तु यह प्रतिशत भी निश्चय ही बहुत ही कम जान पड़ता है।

(३)

किन्तु खेतिहार मजदूरों के सम्बन्ध में विरवासीय आँकड़े कृषि-श्रम-जॉय समिति के विवरण के प्रकाशित होने पर ही उपलब्ध हुए हैं। उक्त समिति के अनुसार 1950-51 में भारत की सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या का प्रायः 30.4% भाग खेतिहार मजदूरों का था। समिति ने 1951 की जनगणना के आधार पर निष्कर्ष किया था कि भारत में कुल 5.8 करोड़ ग्रामीण मजदूर परिवार हैं, जिनमें 1.8 करोड़ परिवार खेतिहार मजदूरों का हैं। किन्तु 1955-56 ई० में हुई जॉय के विवरण के अनुसार भारत में खेतिहार मजदूर परिवारों की संख्या 1.63 करोड़ ही थी। मजदूर परिवारों की संख्या में इस कमी का प्रधान कारण खेतिहार मजदूरों के पेशे में परिवर्तन हो सकता है।

1956-57 ई० की कृषि-श्रम जॉय समिति के अनुसार खेतिहार मजदूरों की कुल संख्या 3.3 करोड़ थी जिनमें 1.8 करोड़ पुरुष, 1.2 करोड़ औरतें तथा 0.3 लाख बच्चे थे। इसमें 57% भूमिहीन मजदूर थे जबकि 1950-51 की जॉय के अनुसार भूमिहीन मजदूरों की संख्या 50% थी।